संख्या- 04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, फैजाबाद के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल" के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय फैजाबाद को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाए जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 18901.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016 द्वारा प्रदान की गई है। तदोपरान्त रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016 तथा रू0 554.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017 एवं रू0 5500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017 द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू0 7554.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- राजकीय मेडिकल कालेज, फैजाबाद के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त प्राविधानित धनराशि रू0 515.0000 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 225.0452 करोड़ में से रू0 45,00,00,000/- (रू0 पैंतालीस करोड़ मात्र) (रू0 27.00 करोड़ केन्द्रांश तथा रू0 18.00 करोड़ राज्यांश) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 दिनॉक 20-03-2017 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8- प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।
10- प्रस्तावित भवनों का निर्माण एम0सी0आई0 मानकों के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।
11- प्रश्नगत कार्य का आई0आई0टी0 के विशेषज्ञ दल द्वारा थर्ड पार्टी आडिट कराकर उसकी रिपोर्ट शासन को 01 माह में उपलब्ध करायी जायेगी। थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।
12- शासनादेश संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20-11-2017 में प्रतिनिहित अधिकारों एवं वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3- /दस-2018, दिनॉक मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 04/2018/ 111(1)/71-3-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6- नियोजन-अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल। आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।